



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1489]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2015/आषाढ़ 22, 1937

No. 1489]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2015/ASHADHA 22, 1937

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1882(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषध विभाग द्वारा का.आ. 2352(अ) दिनांक 15.09.2014 के सिप्रोफ्लोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिग्रा. गोलियां विनिर्मितियों के सम्बन्ध में पत्र सं. 31015/57/2014-पीआई-I दिनांक 06.02.2015 पर दिये गये आदेश में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया।

इसलिए, उपर्युक्त मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14 और 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के आदेश का.आ. 2352(अ) दिनांक 15 सितम्बर, 2014 और का. आ. 619(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2015 को अधिक्रमण करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
1.	सिप्रोफ्लोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड गोली	250 मिग्रा.	1 गोली	2.33

नोट :

(क) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

- (ख) सभी निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वो एनपीपीए द्वारा जारी आदेश का. आ. 776(अ) दिनांक 17.3.2015 के साथ पठित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) के अधिसूचना संख्या 14/2015 और 15/2015-सेन्ट्रल एक्साइज दिनांक 1 मार्च, 2015 के आधार पर अधिकतम मूल्य को घटाकर संशोधित करके सुनिश्चित करें।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ङ) निर्माताओं को वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर संशोधित मूल्यों का लाभ उठाने के लिए डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूची II के प्रारूप II में भरकर 15 दिनों के भीतर पुनरीक्षण के लिए सरकार को अग्रेषित किया जायेगा और इस उप पैरा के अधीन जानकारी न दिया जाना का अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) के पुनरीक्षण न किये जाने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संबद्ध विनिर्माता पूर्व पुनरीक्षित अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) से अधिक भारत रकम को अधिक भारत होने की तारीख से उस पर ब्याज सहित जमा करने के लिए दायी होना।
- (च) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के प्रारूप III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के प्रारूप IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(National Pharmaceutical Pricing Authority)

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1882(E).—In implementation of directions given in line with review order passed by the Department of Pharmaceuticals on 06.02.2015 vide letter no. 31015/57/2014/PI.I in respect of S.O. 2352(E) dated 15.9.2014 for Ciprofloxacin Hydrochloride Tablet 250mg.

Therefore, in respect of above mentioned price fixation and, in exercise of the powers, conferred by paragraph 4, 10, 11, 14 and 16 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. 2352(E) dated 15th September, 2014 and 619(E), dated 26th February, 2015, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling prices exclusive of local tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ciprofloxacin Hydrochloride Tablet	250mg	1 Tablet	2.33

Note :

- All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- All the manufacturers are required to follow and ensure to revise their Maximum Retail price (MRP) (inclusive of excise duty and all taxes) of all formulation packs downward, pursuant to Ministry of Finance (Department of Revenue), vide Notification No. 14/2015 and 15/2015 –Central Excise dated 1st March, 2015 read with the NPPA notification S.O. 776(E) dated 17.3.2015.
- The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in the column (5) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the Scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturer availing of the revised ceiling price as per WPI shall report to the Government in Form II of Schedule II to Drugs (Price Control) Order, 2013 within a period of 15 days of such revision. Non submission of Form II in this regard shall be construed as non-revision in MRP as per WPI and the concerned manufacturers shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised MRP along with interest thereon from the date of overcharging.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- The manufacturers of above said scheduled formulation shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulation in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013. Any manufacturer intending to discontinue above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- The manufacturer not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of ceiling price of the scheduled formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) if any, issued prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1883(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषध विभाग द्वारा का.आ. 2350(अ) दिनांक 15.09.2014 के सिफोटोक्साइम इन्जेक्शन 250 मिग्रा./500 मिग्रा. विनिर्मितियों के सम्बन्ध में पत्र सं. 31015/56/2014-पीआई-I दिनांक 23.01.2015 पर दिये गये आदेश में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया।

इसलिए, उपर्युक्त मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14 और 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के आदेश का. आ. 2350(अ) दिनांक 15 सितम्बर, 2014 और का. आ. 619(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2015 को अधिक्रमण करते

हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
1.	सिफोटोक्साइम इन्जेक्शन	250 मिग्रा.	प्रति पैक	16.19
2.	सिफोटोक्साइम इन्जेक्शन	500 मिग्रा.	प्रति पैक	21.12

नोट :

- (क) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ख) सभी निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वो एनपीपीए द्वारा जारी आदेश का. आ. 776(अ) दिनांक 17.3.2015 के साथ पठित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) के अधिसूचना संख्या 14/2015 और 15/2015-सेन्ट्रल एक्साइज दिनांक 1 मार्च, 2015 के आधार पर अधिकतम मूल्य को घटाकर संशोधित करके सुनिश्चित करें।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ङ) निर्माताओं को वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर संशोधित मूल्यों का लाभ उठाने के लिए डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूची II के प्रारूप II में भरकर 15 दिनों के भीतर पुनरीक्षण के लिए सरकार को अग्रेषित किया जायेगा और इस उप पैरा के अधीन जानकारी न दिया जाना का अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) के पुनरीक्षण न किये जाने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संबद्ध विनिर्माता पूर्व पुनरीक्षित अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) से अधिक भारित रकम को अधिक भारित होने की तारीख से उस पर ब्याज सहित जमा करने के लिए दायी होना
- (च) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के प्रारूप III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के प्रारूप IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1883(E).—In implementation of directions given in line with review order passed by the Department of Pharmaceuticals on 23.01.2015 vide letter no. 31015/56/2014/PI.I in respect of S.O. 2350(E) dated 15.9.2014 for Cefotaxime 250mg and 500mg Injection.

Therefore, in respect of above mentioned price fixation and, in exercise of the powers, conferred by paragraph 4, 10, 11, 14 and 16 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. 2350(E) dated 15th September, 2014 and 619(E), dated 26th February, 2015, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling prices exclusive of local tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cefotaxime Injection	250mg	Each Pack	16.19
2.	Cefotaxime Injection	500mg	Each Pack	21.12

Note :

- All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- All the manufacturers are required to follow and ensure to revise their Maximum Retail price (MRP) (inclusive of excise duty and all taxes) of all formulation packs downward, pursuant to Ministry of Finance (Department of Revenue), vide Notification No. 14/2015 and 15/2015 –Central Excise dated 1st March, 2015 read with the NPPA notification S.O. 776(E) dated 17.3.2015.
- The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in the column (5) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the schedule formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturer availing of the revised ceiling price as per WPI shall report to the Government in Form II of Schedule II to Drugs (Price Control) Order, 2013 within a period of 15 days of such revision. Non submission of Form II in this regard shall be construed as non-revision in MRP as per WPI and the concerned manufacturers shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised MRP along with interest thereon from the date of overcharging.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- The manufacturers of above said scheduled formulation shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulation in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013. Any manufacturer intending to discontinue above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- The manufacturer not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

- (i) Consequent to the issue of ceiling price of the scheduled formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) if any, issued prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1884(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषध विभाग द्वारा का.आ. 2104(अ) दिनांक 20.08.2014 के बिसोप्रोलोल फ्यूमारेट 5मिग्रा.+ एमलोडिपिन 5 मिग्रा. गोलियां विनिर्मितियों के सम्बन्ध में पत्र सं. 31015/51/2014-पीआई-I दिनांक 09.02.2015 पर दिये गये आदेश में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया।

इसलिए, उपर्युक्त मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के आदेश का. आ. 2104(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2014 को अधिक्रमण करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानीय प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में मैसर्स मेनकाइंड फार्मा लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक फिन्म लिपित गोलियों में		
1.	बिसोप्रोलोल फ्यूमारेट+ एमलोडिपिन गोलियां	बिसोप्रोलोल फ्यूमारेट 5मिग्रा एमलोडिपिन बिसायलेट एमलोडिपिन 5 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	7.28

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1884(E).—In implementation of directions given in line with review order passed by the Department of Pharmaceuticals on 09.02.2015 vide letter no. 31015/51/2014/PI.I in respect of S.O. 2104(E) dated 20.8.2014 for Bisoprolol Fumarate 5mg+Amlodipine 5mg tablet.

Therefore, in respect of above mentioned price fixation and, in exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. No. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. 2104(E) dated 20th August, 2014, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Mankind Pharma Ltd.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<u>Each film coated tablet contains</u>		
1.	Bisoprolol Fumarate+Amlodipine Tablet	Bisoprolol Fumarate 5mg Amlodipine Besilate eq. to Amlodipine 5mg	1 Tablet	7.28

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1885(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषध विभाग द्वारा का.आ. 2101(अ) दिनांक 20.08.2014 के मेटफोरमिन 500मिग्रा.+ गिलिकाज़ाइड 60 मिग्रा.+पियोगलिटाज़ोन एचसीएल 7.5 मिग्रा. गोलियां विनिर्मितियों के सम्बन्ध में पत्र सं. 31015/50/2014-पीआई-1 दिनांक 09.12.2014 पर दिये गये आदेश में अंकित निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पुनर्विलोकन आदेश पारित किया गया। इसलिए, उपर्युक्त मूल्य निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, के आदेश का.आ. 2101(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2014 को अधिक्रमण करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स इन्वेन्शिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स माइक्रो लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोलियों में		
1.	मेटफोरमिन एचसीएल+ गिलिकाज़ाइड + पियोगलिटाज़ोन गोलियां	मेटफोरमिन हाइड्रोक्लोराइड-500मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में) गिलिकाज़ाइड 60 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में) पियोगलिटाज़ोन हाइड्रोक्लोराइड पियोगलिटाज़ोन 7.5 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	6.25

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

- (ड.) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1885(E).—In implementation of directions given in line with review order passed by the Department of Pharmaceuticals on 09.12.2014 vide letter no. 31015/50/2014/PI.I in respect of S.O. 2101(E) dated 20.8.2014 for Metformin 500mg+Gliclazide 60mg+Pioglitazone HCL 7.5mg Tablet.

Therefore, in respect of above mentioned price fixation and, in exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. No. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. 2101(E) dated 20th August, 2014, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Inventia Healthcare Private Limited and M/s Micro Labs Limited respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Metformin HCL + Gliclazide+Pioglitazone Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains Metformin Hydrochloride-500mg (In sustained release form) Gliclazide-60mg (In sustained release form) Pioglitazone Hydrochloride eq. to Pioglitazone 7.5 mg	1 Tablet	6.25

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.

- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1886(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स डेज मेडिकल स्टोर (मैन्यूफेक्चरिंग) लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोलियों में		
1.	गिलिमेप्राइड+मेटफोरमिन गोलियां (ग्रिड 2 एम)	गिलिमेप्राइड-2 मिग्रा. मेटफोरमिन एचसीएल-500 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	4.50

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों को अनुपालन करती है।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1886(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd. and M/s Dey's Medical Store (Manufacturing) Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Each uncoated bilayered tablet Contains:				
1.	Glimepiride + Metformin tablet (GRID 2 M)	Glimepiride 2mg Metformin HCL 500mg (as sustained release form)	1 Tablet	4.50

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1887(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स केडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
1.	क्लोरथेलिडोन+मेटोप्रोलोल गोलियां	प्रत्येक फिल्म लिपित बायलेयर्ड गोलियों में क्लोरथेलिडोन-12.50 मिग्रा. मेटोप्रोलोल सक्सीनेट-47.50 मिग्रा. मेटोप्रोलोल टारट्रेट-50 मिग्रा. के बराबर (एक्सटेन्डेड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	7.22

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1887(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Cadila Pharmaceuticals Limited.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated bilayered tablet contains:		
1.	Chlorthalidone + Metoprolol tablet	Chlorthalidone 12.50mg Metoprolol Succinate 47.50mg eq. to Metoprolol Tartrate 50mg (as extended release form)	1 Tablet	7.22

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1888(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स न्यू थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सिपला लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक ऑरली डिज़इन्टिग्रेटिंग स्ट्रीप में		
1.	ओन्डानेस्ट्रोन ऑरली डिज़इन्टिग्रेटिंग स्ट्रीप (इमिसेट फास्ट)	ओन्डानेस्ट्रोन एचसीएल ओन्डानेस्ट्रोन-4 मिग्रा. के बराबर	1 पत्ता	5.56

2.	ओन्डानेस्ट्रोन ऑरली डिज़इन्टिग्रेटिंग स्ट्रीप (इमिसेट फास्ट)	ओन्डानेस्ट्रोन एचसीएल ओन्डानेस्ट्रोन-8 मिग्रा. के बराबर	1 पत्ता	12.61
----	--	--	---------	-------

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक हैं तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1888(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 6, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Nu Therapeutics Pvt. Ltd. and M/s Cipla Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each Orally Disintegrating strip contains:		
1.	Ondansetron Orally Disintegrating Strip (Emeset Fast)	Ondansetron HCl eq. to Ondansetron 4mg	1 Strip	5.56
2.	Ondansetron Orally Disintegrating Strip (Emeset Fast)	Ondansetron HCl eq. to Ondansetron 8mg	1 Strip	12.61

Note :

- The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1889(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबला और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स मेनकाइंड फार्मा लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक 5 मिलि सस्पेन्सन घुलने के बाद में		
1.	एजिथ्रोमाइसिन ऑरल सस्पेन्सन	एजिथ्रोमाइसिन डार्डहाइड्रेट एजिथ्रोमाइसिन एन्हाइड्रेट-200 मिग्रा. के बराबर	1 मिलि	2.68

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1889(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Mankind Pharma Limited.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Each 5ml of constituted suspension contains:				
1.	Azithromycin Oral Suspension	Azithromycin dihydrate eq. to Azithromycin anhydrous 200mg	1 ml	2.68

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1890(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स रेवियन लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ज्यूवेन्ट्स हेल्थकेयर लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक 5 मिलि में		
1.	पेरासिटामोल सस्पेंसन (कुलपारा डीएस)	पेरासिटामोल-250 मिग्रा.	60 मिलि	26.50

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1890(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Ravian Lifescience Pvt. Ltd. and M/s Zuventus Healthcare Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paracetamol suspension (Koolpara DS)	Each 5ml contains: Paracetamol-250mg	60ml	26.50

Note :

- The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1891(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एकूमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एबोट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
1.	सेफिकिसम+ ऑफ्लोक्सीन गोलियां (जिमनिक ओ 400 एसआर)	प्रत्येक फिल्म लिपित सस्टेन्ड रिलिज़ गोलियों में सेफिकिसम ट्राईहाइड्रेट सेफिकिसम एन्हाइड्रेस-400 मिग्रा. के बराबर ऑफ्लोक्सीन-400 मिग्रा.	1 गोली	16.75

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों को अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1891(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. and M/s Abbott Healthcare Pvt. Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated sustained release tablet contains:		
1.	Cefixime+ Ofloxacin Tablet (Zimnic O 400 SR)	Cefixime Trihydrate eq. to Cefixime Anhydrous 400mg Ofloxacin 400mg	1 Tablet	16.75

Note :

- The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P/NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1892(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स स्यूरिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में		
1.	क्लोपिडोगरेल+एटोरवास्टेटिन+ एसप्रिन कैपसूल (डेपलाट सीवी 20 फोर्ट)	क्लोपिडोगरेल बाईसल्फेट क्लोपिडोगरेल-75 मिग्रा. के बराबर एटोरवास्टेटिन कैल्शियम एटोरवास्टेटिन-20 मिग्रा. के बराबर (फिल्म लिपित गोली) एसप्रिन-150 मिग्रा. (दो एंट्रिक गोली के समान)	1 कैपसूल	7.00

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1892(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Surein Pharmaceuticals Pvt. Ltd. and M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Clopidogrel+Atorvastatin+ Aspirin Capsule (Deplatt CV 20 Forte)	Each hard gelatin capsule contains: Clopidogrel Bisulphate eq. to Clopidogrel 75mg Atorvastatin calcium eq. to Atorvastatin 20mg (as film coated tablet) Aspirin 150mg (as two enteric coated tablet)	1 Capsule	7.00

Note :

- The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1893(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स लाइफ स्टार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक अलिपित गोलियों में		
1.	डिक्लोफेनेक पोटेशियम+ मेटाक्सालोन गोली	डिक्लोफेनेक पोटेशियम-50 मिग्रा. मेटाक्सालोन-400 मिग्रा.	1 गोली	9.12

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1893(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Windlas Biotech Ltd. and M/s. Life Star Pharma Pvt. Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each uncoated tablet Contains:		
1.	Diclofenac Potassium+ Metaxalone Tablets	Diclofenac Potassium 50 mg Metaxalone 400mg	1 Tablet	9.12

Note :

- (a) The manufacturer of abovementioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the abovesaid table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1894(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स रेवेनबहल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एफडीसी लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक फिल्म लिपित बायलेयर्ड गोलियों में		
1.	टेलिमसारटन+ मेटाप्रोलोल गोलियां (जिटेलमी एम 25)	टेलिमसारटन-40 मिग्रा. मेटाप्रोलोल सक्सीनेट मेटाप्रोलोल टारट्रेट (ईआर)-25 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	7.96
2.	टेलिमसारटन+ मेटाप्रोलोल गोलियां (जिटेलमी एम 50)	टेलिमसारटन-40 मिग्रा. मेटाप्रोलोल सक्सीनेट मेटाप्रोलोल टारट्रेट (ईआर)-50 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	9.59

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1894(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. and M/s. FDC Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated bilayered tablet contains:		
1.	Telmisartan + Metoprolol Tablets (ZITELMI M 25)	Telmisartan 40mg Metoprolol Succinate eq. to Metoprolol Tartrate (ER) 25mg	1 Tablet	7.96
2.	Telmisartan + Metoprolol Tablets (ZITELMI M 50)	Telmisartan 40mg Metoprolol Succinate eq. to Metoprolol Tartrate (ER) 50mg	1 Tablet	9.59

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1895(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबला और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एपेक्स लेबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक ग्राम में		
1.	क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट+ सेलिसिलिक ऐसिड ऑयन्टमेन्ट (जिन्कोड्रम-एस 6%)	क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट-0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू सेलिसिलिक ऐसिड-6% डब्ल्यू/डब्ल्यू	1 ग्राम	3.27
2.	क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट+ नियोमाइसिन ऑयन्टमेन्ट (जिन्कोड्रम-एन)	क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट-0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू नियोमाइसिन सल्फेट-0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू	1 ग्राम	3.00
3.	क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट+ नियोमाइसिन+मिकोनाज़ोल नाइट्रेट क्रीम (जिन्कोड्रम-एनएम)	क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट-0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू नियोमाइसिन-0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू मिकोनाज़ोल नाइट्रेट-2.00% डब्ल्यू/डब्ल्यू	1 ग्राम	2.27

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

- (ड.) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती है।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1895(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s Apex Labs. Pvt. Limited.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each gm contains:		
1.	Clobetasol Propionate + Salicylic Acid Ointment (Zincoderm-S 6%)	Clobetasol Propionate 0.05% w/w Salicylic Acid 6% w/w	1 Gram	3.27
2.	Clobetasol Propionate + Neomycin Ointment (Zincoderm-N)	Clobetasol Propionate 0.05% w/w Neomycin Sulphate 0.5% w/w	1 Gram	3.00
3.	Clobetasol Propionate + Neomycin+ Miconazole Nitrate Cream (Zincoderm-NM)	Clobetasol Propionate 0.05% w/w Neomycin Sulphate 0.5% w/w Miconazole Nitrate 2.00% w/w	1 Gram	2.27

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.

- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1896(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स मेप्रोमेक्स लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड और एडकोक इन्ग्राम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक ग्राम में		
1.	क्लोबेतासोल प्रोपियोनेट+ नियोमाइसिन+मिकोनाज़ोल नाइट्रेट क्रीम (रोवेट जीएम नियो)	क्लोबेतासोल प्रोपियोनेट-0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू नियोमाइसिन-0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू मिकोनाज़ोल नाइट्रेट-2.00% डब्ल्यू/डब्ल्यू क्लोरोक्रेसोल (प्रेसरवेटिव)-0.1% डब्ल्यू/डब्ल्यू	1 ग्राम	2.27

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।

- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1896(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Mepromax Lifesciences Pvt. Ltd. and M/s. Adcock Ingram Healthcare Pvt. Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each gm contains:		
1.	Clobetasol Propionate + Neomycin+ Miconazole Nitrate Cream (Rovate GM Neo)	Clobetasol Propionate 0.05% w/w Neomycin Sulphate 0.5% w/w Miconazole Nitrate 2.00% w/w Chlorocresol (preservative) 0.1% w/w	1 Gram	2.27

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.

- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1897(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स ऑलकाइंड हेल्थकेयर और मैसर्स लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक अलिपित गोलियों में		
1.	पेरासिटामोल गोलियां (लिमोल-650)	पेरासिटामोल-650 मिग्रा.	1 गोली	1.62
2.	ऐसिक्लोविर गोलियां (जोस्टर-800)	ऐसिक्लोविर-800 मिग्रा.	1 गोली	22.00
		प्रत्येक 5 मिलि में		
3.	ऑफ्लोक्सीन सस्पेंशन (ऑलटेफ-100)	ऑफ्लोक्सीन-100 मिग्रा.	1 मिलि	1.03

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1897(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Allkind Healthcare and M/s. Leeford Healthcare Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each uncoated tablet contains:		
1.	Paracetamol Tablet (Leemol-650)	Paracetamol 650mg	1 Tablet	1.62
2.	Aciclovir Tablet (ZOSTER 800)	Aciclovir -800mg	1 Tablet	22.00
		Each 5ml contains:		
3.	Ofloxacin Suspension (OLTEF 100)	Ofloxacin 100mg	1 ml	1.03

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1898(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स इनोवा केप टेब प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ज्यूवेन्ट्स हेल्थकोयर लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक वायल में		
1.	सेफ्टिरियेक्सोन सोडियम+ सलबेक्टम सोडियम इन्जेक्शन (ट्रस्टन एस)	स्ट्राइल सेफ्टिरियेक्सोन सोडियम सेफ्टिरियेक्सोन-1000 मिग्रा. के बराबर सलबेक्टम सोडियम सलबेक्टम-500 मिग्रा. के बराबर, और प्रत्येक एम्पयूल में 10 मिलि इन्जेक्शन के लिए स्ट्राइल पानी	प्रति पैक	98.69

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1898(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Innova Cap Tab Pvt. Ltd. and M/s. M/s Zuventus Healthcare Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ceftriaxone Sodium + Sulbactam Sodium Injection (Trusten S)	Each vial contains: Sterile Ceftriaxone sodium eq. to Ceftriaxone 1000mg Sulbactam Sodium eq. to Sulbactam 500mg, and Each ampoule contains: Sterile water for injection 10 ml	Each Pack	98.69

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1899(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स गेल्फा लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक फिन्म लिपित गोलियों में		
1.	ऑफ्लोक्सीन+ ओरनिडाज़ोल गोलियां (गेलोक्सीन ओजेड)	ऑफ्लोक्सीन-200 मिग्रा. ओरनिडाज़ोल-500 मिग्रा.	1 गोली	6.60
		प्रत्येक 5 मिलि में		
2.	ऑफ्लोक्सीन+ ओरनिडाज़ोल सस्पेन्सन (गेलोक्सीन ओजेड)	ऑफ्लोक्सीन-50 मिग्रा. ओरनिडाज़ोल-125 मिग्रा.	1 मिलि	0.99

नोट :

- ((क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

- (ड.) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (घ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1899(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Galpha Labs. Limited.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated tablet contains:		
1.	Ofloxacin + Ornidazole Tablet (GALOXIN OZ)	Ofloxacin 200mg Ornidazole 500mg	1 Tablet	6.60
		Each 5ml contains:		
2.	Ofloxacin+ Ornidazole Suspension (GALOXIN OZ)	Ofloxacin 50mg Ornidazole 125mg	1 ml	0.99

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.

- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1900(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स इन्दु ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड; मैसर्स इन्दु ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और रेगारडिया फार्मास्यूटिकल्स निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
				प्रत्येक फिन्म लिपित गोलियों में
1.	फेरस एसकोरबेट+ फोलिक एसिड+ जिंक सल्फेट गोलिया (एफकाउंट-एक्सटी; सीफर)	फेरस एसकोरबेट एलिमेन्टल ऑयरन-100 मिग्रा. के बराबर फोलिक एसिड-1500 एमसीजी जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट-61.8 मिग्रा. एलिमेन्टल जिंक-22.5 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	6.47

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।

- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1900(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Indu Drugs Pvt. Limited; M/s. Indu Drugs Pvt. Limited and M/s. Regardia Pharmaceuticals respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated tablet contains:		
1.	Ferrous Ascorbate + Folic Acid + Zinc Sulphate tablet (Fcount-XT; SHIFER)	Ferrous Ascorbate eq. to Elemental Iron 100mg Folic Acid 1500mcg Zinc Sulphate Monohydrate 61.8mg eq. to elemental Zinc 22.5mg	1 Tablet	6.47

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.

- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1901(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स रूसोमा लेबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक 100 मिलि में		
1.	पेरासिटमोल इनफ्यूजन 1%	पेरासिटमोल-1 ग्राम प्रत्येक 100 मिलि में	1 मिलि	2.10
2.	मेनिनटोल इन्जेक्शन	मेनिनटोल-15% प्रत्येक 350 मिलि में	प्रति पैक	26.25
3.	मेनिनटोल इन्जेक्शन	मेनिनटोल-15%	प्रति पैक	91.88

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों को अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डि.वी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1901(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Rusoma Labs. Pvt. Limited.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Paracetamol Infusion 1%	Each 100 ml contains: Paracetamol 1gm	1 ml	2.10
2.	Mannitol Injection	Each 100ml contains: Mannitol-15%	Each Pack	26.25
3.	Mannitol Injection	Each 350ml contains: Mannitol-15%	Each Pack	91.88

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1902(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स सरमाऊर रेमेडिज़ प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मेनकाइंड फार्मा लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक मिलि में		
1.	डोमपेरिडोन ऑरल ड्रॉप	डोमपेरिडोन-10 मिग्रा.	1 मिलि	4.51

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1902(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Sirmour Remedies Pvt. Ltd. and M/s. Mankind Pharma Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each ml Contains:		
1.	Domperidone Oral Drops	Domperidone -10mg	1 ml	4.51

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1903(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स थियोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स ब्ल्यू क्रॉस लेबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
1.	पेन्टोप्राज़ोल+ लेवासलप्राइड कैपसूल (पीपीपीआई-एल)	प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में पेन्टोप्राज़ोल सोडियम सेसक्यूहाइड्रेट पेन्टोप्राज़ोल-40 मिग्रा. के बराबर (एंट्रिक लिपित पेलेट्स में) लेवासलप्राइड-75 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ गोलियों में)	1 कैपसूल	8.00

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डि.वि.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Theon Pharmaceuticals Ltd. and M/s. Blue Cross Labs. Pvt. Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pantoprazole+ Levosulpiride Capsule (PPPI-L)	Each hard gelatine capsule contains: Pantoprazole Sodium Sesquihydrate eq. to Pantoprazole— 40mg (as enteric coated pellets) Levosulpiride— 75mg (as sustained release tablet)	1 Capsule	8.00

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1904(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स साइनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स ज्यूवेन्ट्स हेल्थकेयर लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक गेस्ट्रो-रेसिस्टेन्ट गोलियों में		
1.	ट्राईपसिन+ब्रोमिलेन+रूटोसाइड ट्राईहाइड्रेट+डिक्लोफेनेक गोलियां (टिबरोलिन डी)	ट्राईपसिन-48 मिग्रा. ब्रोमिलेन-90 मिग्रा. रूटोसाइड ट्राईहाइड्रेट-100 मिग्रा. डिक्लोफेनेक सोडियम-50 मिग्रा.	1 गोली	13.82

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डि.वि.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1904(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Synkem Pharmaceuticals Ltd. and M/s. Zuventus Healthcare Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each gastro-resistant tablet contains:		
1.	Trypsin+ Bromelain+ Rutoside Trihydrate+ Diclofenac Tablet (Tibrolin D)	Trypsin 48mg Bromelain 90mg Rutoside Trihydrate 100mg Diclofenac sodium 50mg	1 Tablet	13.82

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/E. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1905(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एकूमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स ब्ल्यू क्रॉस लेबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोलियों में		
1.	मेटफोरमिन एचसीएल+ वोगलिबोस गोलियां (के-मेट डियू 0.2)	मेटफोरमिन एचसीएल (सस्टेन्ड रिलिज़ में)-500 मिग्रा. वोगलिबोस-0.2 मिग्रा.	1 गोली	4.40
2.	मेटफोरमिन एचसीएल+ वोगलिबोस गोलियां (के-मेट डियू 0.3)	मेटफोरमिन एचसीएल (सस्टेन्ड रिलिज़ में)-500 मिग्रा. वोगलिबोस-0.3 मिग्रा.	10 गोली	52.38

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1905(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. and M/s. Blue Cross Labs. Pvt. Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each unocated bilayered tablet contains:		
1.	Metformin HCl + Voglibose Tablet (K-MET Duo 0.2)	Metformin HCl (as sustained release) – 500mg Voglibose 0.2mg	1 Tablet	4.40
2.	Metformin HCl + Voglibose Tablet (K-MET Duo 0.3)	Metformin HCl (as sustained release) – 500mg Voglibose 0.3mg	10's Tablet	52.38

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1906(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स थियोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स लिफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (₹.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक फिल्म लिपित गोलियों में		
1.	एमोक्सीसिलिन+ पोटाशियम किलेव्यूलेनेट गोलियां (ऐवोक्सील—सीवी डियूस)	एमोक्सीसिलिन ट्राईहाइड्रेट एमोक्सीसिलिन-875 मिग्रा. के बराबर पोटाशियम किलेव्यूलेनेट ड्राईल्यूटेड किलेव्यूलेनिक एसिड-125 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	26.71

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1906(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Theon Pharmaceuticals Ltd. and M/s. Leeford Healthcare Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated tablet contains:		
1.	Amoxicillin + Potassium Clavulanate Tablet (Evoxil-CV Duos)	Amoxicillin trihydrate eq. to Amoxicillin 875mg Potassium Clavulanate Diluted eq. to Clavulanic Acid 125mg	1 Tablet	26.71

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1907(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स थियोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एबोट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
1.	पेन्टोप्राज़ोल+ डोमपेरिडोन कैपसूल (निकोपेन्टा—डीएसआर)	प्रत्येक हार्ड जेलेटिन कैपसूल में पेन्टोप्राज़ोल सोडियम सेसक्वुहाइड्रेट पेन्टोप्राज़ोल-40 मिग्रा. के बराबर (एंट्रिक लिपित पेलेट्स में) डोमपेरिडोन-30 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ पेलेट्स में)	1 कैपसूल	7.63

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों को अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1907(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Theon Pharmaceuticals Ltd. and M/s. Abbott Healthcare Pvt. Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pantoprazole + Domperidone Capsule (NICOPENTA DSR)	Each hard gelatine capsule contains: Pantoprazole sodium Sesquihydrate eq. to Pantoprazole – 40mg (as enteric coated pellets) Domperidone 30mg (as sustained release pellets)	1 Capsule	7.63

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1908(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स ओक्सालिस लेबोरेट्रीज़ और मैसर्स मेकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोलियों में		
1.	मेटफोरमिन एचसीएल+ गिलिक्लाज़ाइड गोलियां (जीसीजेड एम 80)	मेटफोरमिन एचसीएल (सरस्टेन्ड रिलिज़ में)-500 मिग्रा. गिलिक्लाज़ाइड-80 मिग्रा.	1 गोली	4.63

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डि.वी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1908(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Oxalis Labs. and M/s. Macleods Pharmaceuticals Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each uncoated bilayered tablet contains:		
1.	Metformin HCl+ Gliclazide Tablet (GCZM 80)	Metformin HCl (as sustained release) – 500 mg Gliclazide 80mg	1 Tablet	4.63

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1909(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स एमबायोटिक लेबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निर्मित और विपणन विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों क्रमशः में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	प्रबलता	ईकाई	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक फिल्म लिपित गोलियों में		
1.	फेरस एसकोरबेट+ फोलिक एसिड गोलियां (हेमोगोल्ड-एक्सटी)	फेरस एसकोरबेट एलिमेन्टल ऑयरन-100 मिग्रा. के बराबर फोलिक एसिड-1.5 मिग्रा.	1 गोली	7.31

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24(2) के तहत फॉर्म V में एक मूल्य सूची जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के लिए विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (ङ) उपर्युक्त गैर अधिकत कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III में भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डि.वी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1909(E).—In exercise of the powers, conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table hereto annexed as the retail price, exclusive of local taxes, if any in relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof; manufactured and marketed by M/s. Embiotic Labs. Pvt. Ltd. and M/s. Group Pharmaceuticals Ltd. respectively.

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Each film coated tablet contains:		
1.	Ferrous Ascorbate+ Folic Acid Tablet (HEMOGOLD-XT)	Ferrous Ascorbate eq. to elemental Iron 100mg Folic Acid 1.5mg	1 Tablet	7.31

Note :

- (a) The manufacturer of above mentioned formulation i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in the column (5) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V as per the paragraph 24 (2) of the DPCO, 2013.
- (d) Where concerned manufacturer of aforesaid formulation with dosage or strength or both as specified in the above table, launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 then he shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under schedule-II of the DPCO, 2013.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketer as mentioned above i.e. who has applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (f) The concerned manufacturer of above said formulation shall furnish a quarterly return to the NPPA, in respect of its production / import and sale in Form-III of schedule-II of the DPCO, 2013. Manufacturer, in case intending to discontinue above said formulation then he shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) In case the retail price of aforesaid formulation is not complied as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulation as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand superseded.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESHARYA, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015

का.आ. 1910(अ).—जबकि भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2013 के कार्यालय आदेश सं. 1221(अ) के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 तथा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) को निर्धारित किया गया।

2. तथा जबकि, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 30 मई, 2013 के कार्यालय आदेश सं. 1394(अ) के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 तथा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीपीसीओ की विशिष्ट पैराग्राफ के संबंध में उक्त आदेश के पैराग्राफ 9 सहित एनपीपीए को केन्द्र सरकार की ओर से शक्तियां प्रत्योजित की गई हैं।

3. तथा जबकि डीपीसीओ, 2013 के पैरा 9(2) में प्रावधान है कि सरकार समय के सम्यक् क्रम में औषधियों से सम्बन्धित बाजार आधारित आँकड़े के संग्रहण या प्राप्त करने के किसी अन्य समुचित तंत्र को लाएगी और आँकड़े का संग्रहण या उसे प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

4. तथा जबकि, डीपीसीओ 2013 के पैराग्राफ 2(n) में परिभाषित 'निर्माता' को अनुसूची-II के तहत विभिन्न फार्मों में विनिर्दिष्ट अनिवार्य जानकारी/सूचना को ऑनलाइन जमा करने के रूप को सक्षम बनाने के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 9(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक समुचित तंत्र को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से एकीकृत डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस) तैयार किया गया है।

5. सभी निर्माताओं को आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के तहत अनुसूची-II में फॉर्म-I, फॉर्म-II, फॉर्म-III, फॉर्म-IV, और फॉर्म-V में उपर्युक्त उल्लेखित पैरा 8 के अनुसार आईपीडीएमएस के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी एनपीपीए को जमा/प्रस्तुत करेगा।

[कां. सं./155/23/2015/वि/फा. सं. 8(23)/2015/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II]

नरेश आर्य, उप-निदेशक

ORDER

New Delhi, the 13th July, 2015

S.O. 1910(E).—Whereas the Department of Pharmaceuticals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers vide S.O. No. 1221(E) dated 15.05.2013, in exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of Essential Commodities Act, 1955 has notified the Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013)

2. And whereas the Ministry of Chemicals and Fertilizers vide S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013, in exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of Essential Commodities Act, 1955 has delegated the powers in respect of specified paragraphs of the DPCO, 2013, including paragraph 9 of the said order to be exercised by the NPPA on behalf of the Central Government.

3. And whereas paragraph 9 (2) of the DPCO, 2013 provides that the Government may in due course of time come out with other appropriate mechanism for collecting or obtaining the market based data related to drugs and the decisions of Government with respect to collection or obtaining of data shall be final.

4. And whereas, in exercise of power contained in paragraph 9(2) of the DPCO, 2013, an appropriate mechanism in collaboration with the National Informatics Centre as Integrated Pharma Database Management System (IPDMS) is in place to enable 'manufacturer' as defined in paragraph 2(n) of the DPCO, 2013 to make online submission of mandatory information / data specified in the various forms under Schedule-II of the DPCO, 2013.

5. All the manufacturers as mentioned in paragraph 4 hereinabove are required to submit on-line, through IPDMS to the NPPA, Form-I, Form-II, Form-III, Form-IV and Form-V under Schedule-II, as provided under the relevant provisions of the DPCO, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

[PN/155/23/2015/F/F. No. 8(23)/2015/D.P./NPPA-Div.-II]

NARESH ARYA, Dy. Director